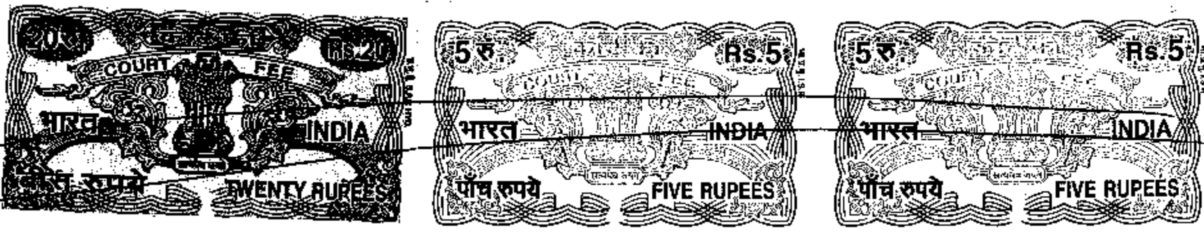

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–ग्वालियर

नवीन शिवहरे पुत्र श्री चिरोंजीलाल शिवहरे निवासी – एम–40 गांधी नगर ग्वालियर (म.प्र.)

.... आवेदक

बनाम

(1) कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला ग्वालियर (म.प्र.)

(2) श्रीमती बेटी बाई पत्नी स्व. लाखाराम निवासी–केदारपुर परगना व जिला ग्वालियर (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स जिला ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 5/बी–103/2012–13/33 में पारित आदेश दिनांक 14.03.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 56 के अधीन पुनरीक्षण।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 7024–पीबीआर/2016 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–07–2016	आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–3–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 24–2–2016 को लगभग डेढ़ वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का कारण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आदेश की सूचना नहीं दिया जाना दर्शाया गया है, जबकि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आवेदक की उपस्थित में आदेश पारित किया गया है । इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा लगभग डेढ़ वर्ष तक कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष प्रचलित प्रकरण में किसी प्रकार की कोई जानकारी लेने का प्रयास नहीं किया गया है, अतः विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं होने से निगरानी अवधि बाह्य मान्य की जाकर अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	